मुन्तकिली प्रकरण सं0 49/2015 अनवानी सावत्री देवी पत्नि काशीराम जाति ब्राम्हण निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ 1—मोहन लाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी पूर्वसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ 2—उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.09.2016

प्रार्थीया सावत्री देवी के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थी मोहनलाल के अभिभाषक उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी मोहनलाल के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित स्माल पेच आवंटन पत्रावली सं0 44/2008 अनवानी मोहनलाल बनाम सावित्री में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीया के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित स्माल पेच आवंटन पत्रावली सं0 44/2008 अनवानी मोहनलाल बनाम सावित्री में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर